न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
लखीमपुर–खीरी
उपस्थित– रेनू सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>वाद सं0–256/2018</u>
रजि0 नं0–277/2018
CNR No. UPLP 01 006435 2018

राज्य उ0प्र0 ———————— अभियोजन पक्ष।

बनाम

बालकराम पुत्र स्व0 सीताराम, निवासी मोहल्ला शिवकालोनी, थाना कोतवाली सदर, जिला खीरी। ———————— अभियुक्त।

मु0अ0सं0–128/2018
धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना–कोतवाली सदर, जिला–खीरी।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत मामले का विचारण थाना कोतवाली सदर, जिला लखीमपुर खीरी की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 128/2018 में अभियुक्त बालकराम के विरूद्ध धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम में प्रस्तुत आरोप पत्र पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2018 को किसी समय वादी आर0एन0 मिश्रा, अवर अभियन्ता मय कर्मचारीगण के साथ बहद स्थान शिव कालोनी, थाना कोतवाली सदर, जिला खीरी में पूर्व में बकाये पर काटे गये कनेक्शन का पुनः चेकिंग करने पर पाया कि उपभोक्ता बालकराम द्वारा विद्युत संयोजन स्वयं अपनी मर्जी से जोड़ लिया गया। उक्त विद्युत संयोजन को दिनांक 18.12.2017 को मु0 41360/–रूपये बकाये पर काटा गया था।

3. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में दिनांक 15.02.2018 को समय 14:41 बजे अभियुक्त बालकराम के विरूद्ध मु0अ0सं0 128/2018, अन्तर्गत धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया।

4. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयानात अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए नक्शा नजरी तैयार की गयी। विवेचनोपरान्त प्राप्त किये गये साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त बालकराम के विरूद्ध मु0अ0सं0 128/2018 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–138बी

भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

5. उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 06.07.2018 को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। तदुपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2025 को अभियुक्त बालकराम के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को उसके विरूद्ध अधिरोपित आरोप को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध विरचित आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में एकमात्र साक्षी को परीक्षित कराया गया।

मौखिक साक्ष्य–

1. पी0डब्लू0–1 रामनरेश मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता

7. अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्ष्य साबित कराया गया।

प्रलेखीय साक्ष्य–

1. प्रदर्श क–1 तहरीर

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 लेखबद्व किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कथन किया है कि मकान में कोई रहता ही नहीं है व साक्षी पी0डब्लू0–1 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि उसके द्वारा सारा पैसा जमा कर दिया गया है। अपने विरूद्ध मुकदमा गलत चलने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसे गलत फंसाया गया है।

9. विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) एवं विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप अधिरोपित किया गया है कि दिनांक 18.12.2017 को किसी समय स्थान बहद निवासी ग्राम शिवकालोनी, थाना कोतवाली सदर, जिला खीरी में विद्युत विभाग के कर्मचारीगण द्वारा पूर्व में स्थान शिवकालोनी, थाना कोतवाली सदर, जिला खीरी में विद्युत विभाग के कर्मचारीगण द्वारा पूर्व में मु0 41,360/–रूपये बकाये पर काटे गये कनेक्शन का पुनः चेकिंग करने पर अभियुक्त का विद्युत संयोजन अवैध रूप से जुड़ा पाया गया।

11. आपराधिक मामले में विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियुक्त के विरूद्व विरचित आरोप में दोषसिद्धि करने हेतु आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है।

12. अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप को साबित किये जाने हेतु

अभियोजन पक्ष के साक्षी पी0डब्लू0–1 रामनरेश मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता द्वारा मुख्य परीक्षा में बहलफ कथन किया गया कि घटना दिनांक 18.12.2017 को वह अपने विभागीय विद्युत टीम के साथ विद्युत चोरी चेकिंग वसूली अभियान के तहत मो0 शिव कालोनी थाना कोतवाली लखीमपुर के आवासीय परिसर को चेक किया गया तो पूर्व में निरीक्षण के दौरान दिनांक 17.01.2018 को पुनः जुड़ा पाया गया। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में एक छपे प्रोफार्मा पर जिसकी रिक्तियां उसके द्वारा भरी गयी है जिस पर उसके व उसकी टीम के हस्ताक्षर है। मौके पर उपभोक्ता से बकाये के सम्बन्ध में रसीद मांगी गयी, लेकिन उसने नहीं दिखाया। पत्रावली में शामिल तहरीर की फोटोप्रति प्रमाणित को साक्षी ने देखकर कहा कि यह उसके द्वारा दी गयी है, जो संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने उसके बयान लिये थे तथा घटनास्थल का निरीक्षण कराया था। पत्रावली में दाखिल पत्र पत्रांक सं0 2568 वि0 वितरण खण्ड प्रथम दिनांक 09.06.2025 के अनुसार उपभोक्ता का बकाया मु0 10,288 दिनांक 21.09.2024 व मु0 12,000/– दिनांक 21.09.24 जमा कर संयोजन को पी0डी0 करवा दिया गया तथा प्रबन्धक निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक सं0 490 मु0 अभियन्ता वाणिज्य दिनांक 07.08.18 के अनुसार इस पत्र के पूर्व में धारा–138 के प्रकरण में शमन व राजस्व निर्धारण नहीं किया जाता था। घटना के सम्बन्ध में कोई बकाया शेष नहीं है। कागज सं0 19/7 दाखिल है जो अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जारी है।

13. जिरह में उक्त साक्षी का कथन है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त बालकराम पर कोई बकाया शेष नहीं है और विद्युत कनेक्शन पी0डी0 किया जा चुका है, जिसका पत्र अधिशाषी अभियन्ता द्वारा दिया जा चुका है, जो पत्रावली में संलग्न है।

14. न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि क्या पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे है अथवा नहीं?

15. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली में संलग्न, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखीमपुर खीरी द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0–2568/वि0वि0ख0प्र0/दिनांकित 09.06.2025 के माध्यम से यह आख्या प्रस्तुत की है कि उपरोक्त वाद से सम्बन्धित अभियुक्त लेखराम द्वारा मु0 10,288/–रूपये दिनांक 21.09.2024 व मु0 1,20,000/–रूपये दिनांक 21.09.2024 जमा कराकर संयोजन पी0डी0 करवा दिया गया है, उपभोक्ता द्वारा वाद से सम्बन्धित कोई भी बकाया नहीं है। इसके अलावा आख्या के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक सं0 490/मु0अभि0

(वाणिज्य–II) रेड इकाई/डिस्कॉम दिनांक 07.08.18 के अनुसार इस पत्र के पूर्व में धारा 138 के प्रकरणों में शमन व राजस्व निर्धारण नहीं किया जाता था।

16. विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा बहस के दौरान भी यह कथन किया गया कि विभाग की कोई धनराशि/देयता अभियुक्त के ऊपर शेष नहीं है।

17. इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन व उपर्युक्त विश्लेषण से अभियुक्त द्वारा समस्त बकाया विद्युत बिल जमा कर दिया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तृतीय निघासन मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखीमपुर खीरी द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0–2568/वि0वि0ख0प्र0/दिनांकित 09.06.2025 से होती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम के दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार उत्पन्न होता है। अतः अभियुक्त बालकराम को अन्तर्गत धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद सं0–256/2018, मु0अ0सं0 128/2018, थाना कोतवाली सदर, जिला लखीमपुर खीरी के प्रकरण में अभियुक्त बालकराम को अपराध अन्तर्गत धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अतः अभियुक्त के जमानतनामें निरस्त किए जाते है एवं जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक 09.03.2026

(रेनू सिंह)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी
JO CODE NO. UP 6470

यह निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 09.03.2026

(रेनू सिंह)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी
JO CODE NO. UP 6470

Digitally signed by Renu Singh
Date: 2026.03.09 16:57:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court